भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3327
20 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के बारे में भ्रामक दावे

†**3327. श्री दिलेश्वर कामैत:**
सुश्री बॉसुरी स्वराज:
श्री बिभु प्रसाद तराई:
श्री बिप्लब कुमार देब:
श्री देवुसिंह चौहान:
श्री जगदम्बिका पाल:
क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के बारे में भ्रामक प्रचार का मुकाबला करने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के कार्यक्षेत्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त समिति के गठन और निबंधन शर्तों को अधिसूचित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त समिति द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है और क्या सिफारिशें जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के बारे में भ्रामक प्रचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार किस प्रकार से यह सुनिश्चित करती है कि खाद्य विज्ञापन और लेबलिंग प्रथाओं को विनियमित करने में उपभोक्ता हितों को प्राथमिकता दी जाए; और

(छ) सरकार प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के बारे में भ्रामक दावों को बढ़ावा देने वाले डिजिटल और सोशल मीडिया विज्ञापनों की नियामक निगरानी को किस प्रकार से मजबूत करने की योजना बना रही है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 12.12.2024 के परिपत्र के माध्यम से प्रसंस्कृत खाद्य के भ्रामक प्रचार को दूर करने के लिए माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। समिति का उद्देश्य प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के भ्रामक प्रचार को दूर करना, उपभोक्ताओं के लिए सटीक जानकारी सुनिश्चित करना और प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग में नैतिक विज्ञापन

प्रथाओं को बढ़ावा देना है। समिति के विचारार्थ विषयों में वर्तमान प्रथाओं का मूल्यांकन, नियामक और कानूनी ढांचे की जांच करना और प्रसंस्कृत खाद्य विज्ञापन के लिए दिशानिर्देश विकसित करना शामिल है। समिति सलाहकार प्रकृति की है और यह सभी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई के लिए समय-समय पर अपनी सिफारिशें प्रदान करेगी।

(ङ) से (छ): खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 24(1) में निर्दिष्ट किया गया है कि 'किसी ऐसे खाद्य का कोई ऐसा विज्ञापन नहीं दिया जाएगा जो भ्रामक या प्रवंचनापूर्ण हो या इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला हो।' भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ़एसएसएआई) ने पूर्व-पैक खाद्य पदार्थों की लेबलिंग के लिए निर्दिष्ट आवश्यकताओं से संबंधित खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 को अधिसूचित किया है। विनियमन सभी खाद्य उत्पादों के लेबल पर प्रदर्शित की जाने वाली विभिन्न लेबलिंग आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट उपबंधों का पालन करना होगा।

एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विज्ञापन एवं दावे) विनियम, 2018 को भी अधिसूचित किया है, जो खाद्य कारोबार संचालकों द्वारा उनके खाद्य उत्पादों के संबंध में किए जाने वाले दावों एवं विज्ञापनों से संबंधित है। इन विनियमों का उद्देश्य खाद्य उत्पादों के दावों एवं विज्ञापनों में निष्पक्षता स्थापित करना तथा खाद्य व्यवसायों को ऐसे दावों/विज्ञापनों के लिए उत्तरदायी बनाना है, ताकि उपभोक्ता हितों की रक्षा की जा सके। इन विनियमों के किसी भी उल्लंघन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के उपबंधों और इसके अधीन उसके बाद बनाए गए विनियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जा सकती है।

*****